न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–160/2022

विरेन्द्र द्विवेदी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

अनूप कुमार चौबे एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
28.08.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 22.07.2023 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल आवेदन के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद वादीगण के द्वारा मद न0–04 नालिश की एराजी पर हकियत की घोषणा एवं दखल कब्जें की सम्पुष्टि सहित अन्य दादरसी हेतु लाया गया है। प्रतिवादीगण समन प्राप्ति के बाद भी न्यायालय में जानबुझकर उपस्थित नही हो रहे है तथा वादग्रस्त भूमि की वस्तुस्थिति में परिवर्तन करने को आमादा है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष विवादित भूमि पर पक्का निर्माण करने के लिए ईट बालु सीमेन्ट छड एवं गिट्टी वगैरह एकत्रित कर रहे है तथा कभी भी वादग्रस्त भूमि पर पक्का निर्माण कार्य प्रारंभ कर वादग्रस्त भूमि के वस्तुस्थिति में परिवर्तन कर सकते है। अगर ऐसा होता है तो वाद की बहुलता उत्पन्न होगी तथा वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि का निरीक्षण अधिवक्ता आयुक्त से कराकर प्रतिवेदन प्राप्त कर लेना आवश्यक है। वादग्रस्त भूमि न्यायालय से करीब 05 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जहाँ आने जाने के लिए परिवहन की सुविधा है। वादीगण अधिवक्ता आयुक्त का शुल्क भुगतान करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–160/2022

विरेन्द्र द्विवेदी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

अनूप कुमार चौबे एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 28.08.2023	वादीगण का आवेदन स्वीकार कर अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की कृपा करे। प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 10.08.2023 को दाखिल कर निवेदन किया कि वादीगण का आवेदन पोषणीय नही है बल्कि खारिज योग्य है। मद न0–04 की एराजी पर प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा उस पर प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 का पक्का छतदार मकान अवस्थित है। प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 प्रस्तुत वाद में उपस्थित हो चुके है तथा विवादित भूमि की वस्तुस्थिति में कोई परिवर्तन नही किये है। वादीगण जानबुझकर अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त कराना चाहते है। क्योंकि वादीगण मुहजोर एवं दबंग व्यक्ति है तथा प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 की वह खरीदगी भूमि है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण के आवेदन को खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद मद न0–04 नालिश की एराजी पर हकियत की घोषणा एवं दखल कब्जें की सम्पुष्टि सहित अन्य दादरसी हेतु लाया गया है। प्रस्तुत वाद अभी उपस्थिति हेतु लंबित है। वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षण करना न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है। ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है? इस संबंध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की माँग किया जाना	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–160/2022</u>

विरेन्द्र द्विवेदी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

अनूप कुमार चौबे एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 28.08.2023	न्यायोचित प्रतीत होता है। वादीगण अधिवक्ता आयुक्त के खर्चे को वहन करने को तैयार है। अतः वादीगण का आवेदन दिनांक 22.07.2023 को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मण प्रसाद को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें आदेशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के संबंध में फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय मो0–2500/– (दो हजार पाँच सौ) रूपये वादीगण के द्वारा वहन किये जायेगें। अधिवक्ता आयुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वह दो सप्ताह के अंदर अपना प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करें। वाद दिनांक 14.09.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	